न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

अपील संख्या 161/2016 धारा 225 आर.टी.एक्ट रायसिंह बनाम अवतारसिंह आदि

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
31.05.18	उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रा.पत्र पेश करने पर पत्रावली पेशी में आई। अपीलांट व रेस्पों. ने इस आशय का प्रा.पत्र पेश किया कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है। अपीलाधीन आदेश के द्वारा जो रास्ता स्वीकृत किया गया था उसकी अब रेस्पों. को आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.08.2016 निरस्त किया जावे। प्रा.पत्र पर बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पक्षकारों के मध्य इस आशय का राजीनामा होना जाहिर किया गया कि स्वीकृतशुदा रास्ता के बजाए रेस्पों. को वैकल्पिक रास्ता दिये जाने की सहमति बनी है। ऐसी स्थिति में अगर स्वीकृतशुदा रास्ता की पालना नहीं हुई, राशि जमा नहीं हुई है एवं रिकार्ड में अमलदरामद नहीं हुआ है तो लोक अदालत की भावना से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.08.2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि राज.काश्त.अधि. 251ए सपठित राज.काश्त. (सरकारी नियम) संशोधन 2012 के नियम 69 की पालना करते हुए वैकल्पिक रास्ते का निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जावे। निर्णित पत्रावली नम्बर से कम होकर अभिलेखागार में जमा हो। 31/5/18 राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर